संक्षिप्त

पानी के तेज बहाव में डूबने से दो की मौत

टोंक। जिले के बीसलपुर बांध में बढ़ाई गई पानी की निकासी के बाद राजमहल रपट को पार करते समय एक बाइक पर सवार दो युवक बह गये, जिन्हे बाद में ग्रामीणो ने बचा लिया। लेकिन उनकी बाइक बनास नदी में बह गई। शनिवार को राजमहल रपट पर दो युवक बनास नदी पार कर राजमहल आ रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव का इनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक के साथ बहने लगे। इस दौरान एक युवक तो रपट पर ही खड़ा रह गया, दूसरा युवक बाइक के साथ ही बहकर बनास नदी में गिर पड़ा। बाद में उसे वहा खड़े ग्रामीणो ने पानी से बाहर निकाला। इसी प्रकार निवाई के राहोली गांव में शनिवार को श्राद्ध तर्पण के दौरान 15 साल का लड़का नदी के गहरे पानी में चला गया, बेटे को बचाने के लिए नदी में पिता उतरा तो वह भी बह गया, जहां हादसे में दोनों की मौत हो गई। मौके पर प्रहुचे राहोली थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया मृतक अशोक वाल्मीकि पुत्र रामजस उम्र 33 साल जो अपने 3 भाईयों, बेटे और भतीजे के साथ श्राद्ध तर्पण करने बांडी नदी किनारे पहुंचा था। इसी दौरान उसका बेटा आशीष उम्र 15 गहरे पानी में चला गया। बेटे को बचाने के लिए अशोक ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव में वह भी फंस गया और पानी में डुब गया। बाद में ग्रामीणों ने तुरंत नदी में उतरकर मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला और मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस से दोनों को निवाई उप जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। जहां पुलिस ने शवों को मॉर्च्युरी में रखवाया दिया।

दस्तावेज सत्यापन सोमवार को

कोटपूतली। यहां के राजकीय एलबीएस पीजी महाविधालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य आगामी 23 सितम्बर सोमवार को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक किया जायेगा। प्रवेशित प्रवेशार्थी स्वयं उपस्थित होकर बधाई पत्र, मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, अंकतालिका (10वीं, 12वीं.) मूल तथा फोटो कॉपी (स्वप्रमाणित), अंकतालिका (स्नातक) मूल तथा फोटो कॉपी (स्वप्रमाणित), जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मूल तथा फोटो कॉपी (स्वप्रमाणित), बोनस प्रमाण पत्र मूल तथा फोटो कॉपी (स्वप्रमाणित), मूल प्रमाण पत्र टी.सी., चरित्र व आय घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवायें।

शुद्धिकरण की समस्या का समाधान

कोटपूतली। सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत बानसूर उपखंड की ग्राम पंचायत चूला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामवासियों के दशकों पुराने राजस्व विवादों का समाधान किया गया। शिविर में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला कलक्ट प्रियंका गोस्वामी, उपखंड अधिकारी अनुराग हरित एवं तहसीलदार गजेन्द्र राठौड एवं अन्य अधिकारियों की तत्परता से ग्राम चूला निवासी जैनाराम एवं उनके पांच भाइयों से संबंधित लगभग 50 वर्ष से लंबित भू-नक्शा शुद्धिकरण का मामला सभी पक्षकारों की सहमति से निपटाया गया। राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर ही अभिलेखों का परीक्षण कर भू-नक्शा शुद्धिकरण पूर्ण किया गया। अधिकारियों की तत्परता और संवेदनशीलता से समस्या का तत्काल समाधान होने पर लाभार्थियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे।

एबीवीपी की जीत पर मिठाई बांटी

कोटपूतली। स्थानीय एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुये आतिशबाजी कर मिठाईयों का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने यहां के राजकीय एलबीएस पीजी महाविधालय के मुख्य द्वार दिल्ली विश्वविधालय में छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी प्रत्याशी आर्यन मान के अध्यक्ष पद पर, कुणाल चौधरी के सचिव पद पर एवं दीपिका झा के संयुक्त सचिव पद पर प्रचंड बहुमत के साथ शानदार जीत होने पर भारत माता वंदे मातरम के उद्घोषों के साथ आतिशबाजी कर मिठाईयां वितरित की। इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौजुद थे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जन समस्याओं के समाधान के प्रति हम कृतसंकल्पित हैं : मंत्री झाबर सिंह खर्रा

किशनगढ़ बास । प्रदेश सरकार की ओर से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत नगरीय स्वायत्त विभाग की ओर से शुरू किए गए शहरी सेवा शिविर का शनिवार को नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने अलवर सहित किशनगढ़ बास और भिवाड़ी में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को पट्टा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक वितरण कर अधिकारियों को सरकार की मनसा के अनुरूप लाभ दिए जाने के लिए निर्देश दिए।

किशनगढ़ बास नगर पालिका की ओर से बास कृपाल नगर के संस्कृत विद्यालय में लग रहे शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे नगरीय स्वायत्त मंत्री झाबर सिंह खर्रा व राष्ट्रीय परिषद भाजपा सदस्य पूर्व विधायक रामहेत यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष महा सिंह चौधरी का नगर पालिका चेयरमैन तारामणि सतीश सिंघल व भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल, ईओ राहुल अठावाल सहित जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारीयों ने बड़ी माला से सम्मान किया।

इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद भाजपा सदस्य पूर्व विधायक रामहेत यादव ने मंत्री झाबरसिंह खर्रा का स्वागत करते हुए कहा कि खैरथल व किशनगढ़ बास को मिलाकर ट्विन सिटी के रूप में विकसित करने की मांग रखते हुए किशनगढ़ बास या खैरथल में यूआईटी स्थापित कराने एवं पुरानी गैर मुमकिन आबादी 69 ए के पट्टों में शिथिलता बरतने की बात कही जिससे खैरथल और किशनगढ़ बास क्षेत्र का विकास हो सके।

इसके साथ यादव ने कोटकासिम नगर पालिका क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया और बताया कि भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बीड़ा द्वारा पट्टे जारी किए जाते हैं जो कि आमजन की पहुंच से बाहर होते हैं इसलिए कोटकासिम की नगर पालिका को वो सभी अधिकार दिए जाए जिससे वह पट्टे जारी कर सकें।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सम्बोधन में आश्वस्त किया कि वे जन समस्याओं के समाधान के प्रति कृतसंकल्पित हैं और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। ग्रामीण सेवा शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्र को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बीते 20 महीनों में राजस्थान सरकार ने बिजली और पानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

इस दौरान उन्होंने नगर पालिका अधिकारी कार्मिकों को सुविधाओं को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पाबंद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने यह शिविर आमजन को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए लगाए हैं इसमें पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक लाभकारी योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका कर्मचारियों की है।

उन्होंने कहा शिविरों में जो भी समस्या आई हो वह स्वायत्त शासन निदेशक वह मुझे पत्र के माध्यम से अवगत कराए मैं उन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। शिविर के दौरान उन्होंने 10 आवासीय पट्टो का वितरण किया। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 19 लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण के चेक का वितरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 25 लाभार्थियों को 50000 की पहली किश्त की जारी की गई।

इसके अलावा नगर परिषद भिवाड़ी में आयोजित कैंप में 5 आवासीय पट्टो का वितरण किया। 5 नामांतरण, 7 फायर एनओसी, यूडीआईडी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 14 लाभार्थियों को 50000 की पहली किश्त, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत 11 लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ किस्त का प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। इसी के साथ 10 नि-क्षय पोषण किट, एक स्कूटी एवं एक व्हीलचेयर का वितरण भी किया गया।

इसके उपरांत मंत्री ने भिवाड़ी में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जिला प्रशासन एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में आयोजित 12वाँ इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 आयोजन के अंतर्गत आयोजित भिवाड़ी गौरव सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री खर्रा ने मेले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली व सामाजिक और उत्कृष्ट कार्यों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, डिप्टी पुलिस अधीक्षक किशनगढ़ बास राजेंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास मनीष कुमार जाटव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका किशनगढ़ बास राहुल अठावाल ,मंडल अध्यक्ष किशनगढ़ बास मनोज मित्तल, मंडल अध्यक्ष खैरथल मनीष शर्मा, उपसभापति खैरथल वरुण डाटा, जिला

किशनगढ़ बास में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत चल रहे शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री जाफर सिंह खर्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

- भिवाड़ी और अलवर में मंत्री ने किया शिविर का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश कहा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे शिविर का लाभ

सोशल मिडिया पर पोस्ट से फैली सनसनी

टोंक। मुख्यालय के बहीर क्षेत्र में शुक्रवार रात्रि को सोशल मीडिया पोस्ट पर अशोभनीय कमेंट को लेकर एक समुदाय के सैकडों लोग बहीर क्षेत्र में सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट पर एक व्यक्ति द्वारा अशोभनीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए समुदाय के लोग प्रदर्शन पर उतर गए।

बाद में सूचना पर टोंक अति.पुलिस अधीक्षक पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाईश की। इस दौरान समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा माली समाज के एक व्यक्ति की बहिर स्थित कारखाने और बाहर खडी बाइक में तोड़फोड़ कर कारखाने को नुकसान पंहुचाया। जिससे मालिक को लाखों का नुकसान हो गया।

मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और अन्य लोगो ने बताया कि सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे नाराज समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए। मौके पर पहुंचे एएसपी बृजेन्द्र सिंह भाटी, टोंक डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने व्यवस्था संभाली तथा लोगों को समझाया। पुलिस ने लोगों से विवादित पोस्ट की जानकारी मांगी, लेकिन वास्तविक पोस्ट पुलिस के सामने नहीं आई। इस दौरान शुक्रवार की रात असामाजिक लोगों ने एक कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ करने पर गुस्साए लोगों का शनिवार दोपहर को गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार, माली समाज, बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने घंटाघर पहुंच कर प्रदर्शन किया।

कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरु

वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत टोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली।

टोंक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर एवं देहात ब्लॉक टोंक की ओर से संयुक्त वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी टोंक में बैठक आयोजित की गई। जिसमें मुख्य रूप से हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी सुनील परवानी, टोंक विधानसभा संगठन प्रभारी डॉ. सुमित गर्ग, जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, संगठन महासचिव दिनेश चौरसिया की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सुनील परवानी ने कहा कि बीजेपी वोट चोरी के माध्यम से देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, वोट लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यह अभियान मंडल स्तर तक तथा इकाई स्तर तक ले जाया जाएगा, उन्होने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारीयों का आह्वान किया कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाएं और लोगों को यह बताएं कि किस तरह उनका वोट चोरी करके उनके वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। वही विधानसभा प्रभारी गर्ग ने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, इसके लिए उन्होंने वोट चोरी को रास्ता बनाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बेरवा ने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने देश से सामाजिक ताने-बाने को बिगड़ने का काम किया है, उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, भाजपा वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में बना रहना चाहती है। इस मौके पर संगठन महासचिव दिनेश चौरसिया, सलीमुद्दीन खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद बेग, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा, महमूद शाह सेवादल, अध्यक्ष अब्दुल खालिक कमलेश चावला, मूलचंद बैरवा आदि ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर अपने विचार व्यक्त किये।

'आमजन को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूक कर सोलर लगवाएं'

कोटपूतली। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने शुक्रवार को उपखंड बानसूर के ग्राम में हाजीपुर एवं चूला में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को शिविर में आ रहे आमजन के लिए छाया, पानी व बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए साथ ही आमजन के साथ संवाद करते हुए फीडबैक भी लिया।

इस दौरान शिविर में आए हुए कई लाभार्थियों ने व्यवस्थाओं को सराहा तथा समस्याओं के तत्काल निस्तारण पर राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। इस दौरान बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत और जिला कलेक्टर ने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, चैक व प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने विद्युत निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम सुर्यघर योजना के तहत 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के संबंध में आमजन को अधिकाधिक जागरूक करें, उन्हें बताएं की सरकार की उक्त योजना में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ता है और जिनका 2024-25 का औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट अथवा उससे कम है उनसे जयपुर डिस्कॉम उनके घर की छत पर 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाने हेतु सहमति पत्र लेगा तथा डिस्कॉम का वेंडर उनके यहां मुक्त में सोलर लगाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में गति लाएं, दिव्यांगो को ई केवाईसी में आ रही दिक्कतों को रसद अधिकारी से संपर्क कर तुरंत निपटारे के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सेवा शिविरों के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए।

शिविरों में रास्ते खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामान्तकरण, लम्बित नोटिसों की तामीली एवं फार्मर रजिस्ट्री संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टा वितरण और किसान गिरदावरी एप द्वारा गिरदावरी का कार्य गंभीरता से किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना और मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना जैसी योजनाओं के लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करें। इस दौरान जिला कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से योजनाओं और उनकी क्रियान्विति के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी ली। शिविर में उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, तहसीलदार गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

आम-सूचना अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द्र, उम्र-45 वर्ष, जाति-जाट, हाल निवासी-वार्ड नम्बर-14, गोलूवाला, 22 जे.आर.के., तहसील-पीलबंगा, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर की योजना अशोक वाटिका, माचवा, जयपुर के भूखण्ड संख्या-405 का क्षेत्रफल 112.8 वर्गगज व भूखण्ड संख्या-406 का क्षेत्रफल 113.1 वर्गगज के हस्तान्तरण हेतु मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा, शपथ पत्र, मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा उक्त भूखण्डो के हस्तान्तरण हेतु समिति को कहा गया है। यदि उक्त भूखण्डो के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में सम्पर्क करें: अन्यथा समिति द्वारा उक्त भूखण्डो का हस्तान्तरण कर दिया जायेगा, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्ज मान्य नही होगा।
(हेमन्त कुमार पलोड) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सोहन लाल कुमावत पुत्र श्री खेमा राम कुमावत, निवासी-प्लाट नं. 45 से 50 व 87 से 91, विनायक विहार 9 सिवार गांव बीडवाली ढाणी, सिरसी रोड जयपुर ने श्री गणेश राम चौधरी (पिपलोदा) पुत्र श्री भंवर लाल, श्रीराम कॉलोनाइजर एवं सोसायटी संयोजक हालाना झूरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. रजि. नं. 25/एलसी, निवासी पिपलोदा की ढाणी, भुगावली रोड, बिन्दायका जयपुर राजस्थान से उनके द्वारा विकसित आवासीय योजना विनायक विहार 9 सिवार गांव बीडवाली ढाणी सिरसी रोड जयपुर में भूखण्ड संख्या प्लॉट नंबर 45 से 50 व 86 से 91 (कुल 12 प्लॉट) दिनांक 25/11/2019 को 5500/- रूपये प्रति वर्गगज की दर से कुल क्षेत्रफल 1110.49 वर्गगज को खरीद कर कुल विक्रय प्रतिफल 61,07,695/- रूपये संयोजक गणेश राम चौधरी को अदा कर दिया था तथा गणेश राम चौधरी ने तात्समय ही इस बाबत इकरारनामा रसीद भी निष्पादित कर दी थी तथा इकरारनामा करते समय ही संयोजक गणेश राम चौधरी ने विक्रय किये गये प्लाटो का वास्तविक कब्जा मेरे अभिभाष्य को सम्भला दिया था जिन पर मेरे अभिभाष्य ने प्लाट संख्या 91 व 45 पर बाउण्ड्रीवालका निर्माण व बोरिंग करवा लिया था तथा बाकी 10 प्लाटों पर तीन मंजिला तामिरात निर्मित कर उनके हडलपमेन्ट एवं विकास के लिए करीबो रूपया खर्च कर दिया है गणेश राम चौधरी के द्वारा आठ भूखण्डो के पट्टे मेरे अभिभाष्य एवं उनके परिजनो के नाम से जारी करके दे दिये है परन्तु प्लाट संख्या 45,91 व 48, 87 के पट्टे बार बार मांग करने पर जारी कर के नही दे रहा है, जबकि उक्त प्लाटो पर कब्जा एवं निर्माण उपरोग उपभोग मेरे अभिभाष्य के द्वारा आज दिनांक तक किया जा रहा है, तथा प्रतिफल की कोई राशि बकाया नही है, परन्तु अब गणेश राम चौधरी संयोजक द्वारा उक्त भूखण्डो को लोभ लालच व बहकावे मे आकर अन्य व्यक्तियो को पुनः बैचान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी दीगर शख्स उक्त विक्रेता से उक्त प्लाटस नही खरीदे। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त विक्रेता से ऊपर वर्णित प्लाटस को खरीदने बाबत कोई इकरारनामा, विक्रय पत्र या किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करेगा तो वह पूर्णतया गैर कानूनी व मेरे अभिभाष्य के हको तक शून्य माना जायेगा तथा ऐसा संव्यवहार करने वाला व्यक्ति भविष्य मे उत्पन्न होने वाली कठिनाईयो/हर्जे खर्चो एवं पणिमो के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
(सुरेन्द्र चन्द जांगिड) एडवोकेट, मो.नं.-9829790463

खोया पाया
मेरी शिवा को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जयपुर प्लॉट नं.11, भूदेव कॉलोनी, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर द्वारा दिनांक 1.5.1981 को जारी पट्टे की रसीद दिनांक 20.9.2020 को दुर्गापुरा में कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। मयंक शर्मा 9828130058

मेरे प्लाट नं.ए-201 रोहिणी एंक्लेव जेडीए स्कीम जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, मानसरोवर में कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- संतोष-9672555545

कार्यालय ग्राम पंचायत जीनापुर, पंचायत समिति स.मा.जिला सवाई माधोपुर
क्रमांक-2025-26/32 **ई-निविदा सूचना-05/2025-26** दिनांक-15/09/2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त विकास योजनाओं में कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं जी.एस.टी.अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेताओ/निविदादाताओ से वार्षिक दर दिनांक 31.3.2026 के लिए निविदा दरें ई-प्रोक्योरमेन्ट पद्धति से द्विस्तरीय आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं सम्बन्धित दस्तावेज इन साईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जीनापुर, पं.स.सवाई माधोपुर — प्रशासक, ग्राम पंचायत जीनापुर, पं.स.सवाई माधोपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 35/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कृष्ण शर्मा पुत्र श्री शम्भू दयाल शर्मा निवासी ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली-बहरोड ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री देवी जी (सरूण्ड माता) ट्रस्ट, ग्राम सरूढ तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली-बहरोड के न्यास विधान में संशोधन कर संशोधित ट्रस्ट डीड एवं न्यासी परिवर्तन को दर्ज अभिलेख हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 29.10.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/636
चूंकि प्रार्थी श्री KAMAL KUMAR KOTHARI, 101/5 JLN MARG NEAR POLICE MEMORIAL JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास जयपुर ज्वैलरी शो, TF-01 GOLDSOUK, JAGATPURA ROAD NEAR JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR 302017 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/643
चूंकि प्रार्थी मेवा भारती, 56, डिफेंस कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मेहनतकश कल्याण एवं संदर्भ केंद्र संस्था, 56, डिफेंस कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25/11/2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)
(अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14) अपील क्रमांक FA/1934/2024
Process ID" 198944/2025
Khushi Patel अपीलार्थी
Lokesh Kumar Meena प्रत्यर्थी
सन् 2024 के RCM-HM क्रमांक 1065 सन् 2023 में न्यायालय Principal Judge, Family Court Shri Vivek Kumar Gupta, Jabalpur (Madhya Pradesh) की डिक्री/आदेश, दिनांक 29-08-2024 के विरूद्ध अपील।
प्रति,
Lokesh Kumar Meena S/o Shri Megram Meena, House No. 164/275, Education Hub, Pratap Nagar, Sanganer, Disrict-Jaipur Rajasthan
प्रत्यर्थी
अपील की सुनवाई का दिनांक
कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई अपील की सुनवाई का दिनांक है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13-10-2025 नियत की गई है। आपत्तियां, प्रति आपत्तियां, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए।
कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक
कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 13-10-2025 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातों करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें। सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है।
सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये:-
कागज का विवरण (दिनांक सुधेदक चिह्नतथा पृष्ठसंख्या) (1) पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियाँ आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिदिष्ट करें) (2) कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3)
यदि आप क